राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 527—तीन / 14 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.15	यह निगरानी प्रकरण लोक अदालत के समक्ष सुनवायी हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष के विव्दान अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। 2/ आवेदक ने ग्राम जाखनौद तहसील पोहरी स्थित अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 420 रकबा 3.13 हे0 के विकय की अनुमति चाही है। आवेदक व्दारा यह भूमि पंजीयत विकयपत्र कमांक 147 दिनांक 20—05—13 व्दारा कृपासी पुत्री नत्थू पत्नी पूरन, लखन, पिंकी पुत्रगण ग्याजीत से खरीदना बताया है। आवेदक व्दारा भूमि विकय के पश्चात उसके भूमिस्वामी स्वत्व में ग्राम धुआनी एवं भगोरा में सर्वे क0 230, 16, 17 तथा 593 कुल रकबा 5.04 हे0 शेष रहना दर्शाया है। आवेदक उक्त भूमि विकय कर अन्य शेष भूमि पर सिंचाई हेतु ट्यूब वेल लगाना चाहता है जिससे फसल का अच्छा लाभ मिल सके। 3/ प्रश्नाधीन भूमि आवेदक व्दारा स्वयं पंजीयत विकयपत्र के माध्यम से खरीदी है तथा भूमि विकय के बाद भी उसे भूमिस्वामी स्वत्व में 5.04 हे0 भूमि शेष	

रहती है, इसलिये न्यायहित में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 420 रकबा 3.13 हे0 के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है–

1. यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015–16 की गाइड लाईन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हों।
1. आवेदक को विकय राशि का भुगतान रजिस्टार के समक्ष किया जावे ।
2. आवेदक द्वारा पूर्व में जिस व्यक्ति से भूमि का विकय अनुबंध किया गया है, उसी को भूमि का विकय किया जाय ।

4/ उपरोक्तानुसार निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। आयुक्त, ग्वालियर संभाग का अपील प्र0क0 07/13–14 में पारित आदेश दिनांक 20–01–14 तथा अपर कलेक्टर, शिवपुरी का आदेश दिनांक 05–09–13 निरस्त किये जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस भेजा जाय तथा राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।

(मुकेश बेलापुरकर)
सदस्य
लोक अदालत

(एम0के0सिंह)
अध्यक्ष
लोक अदालत

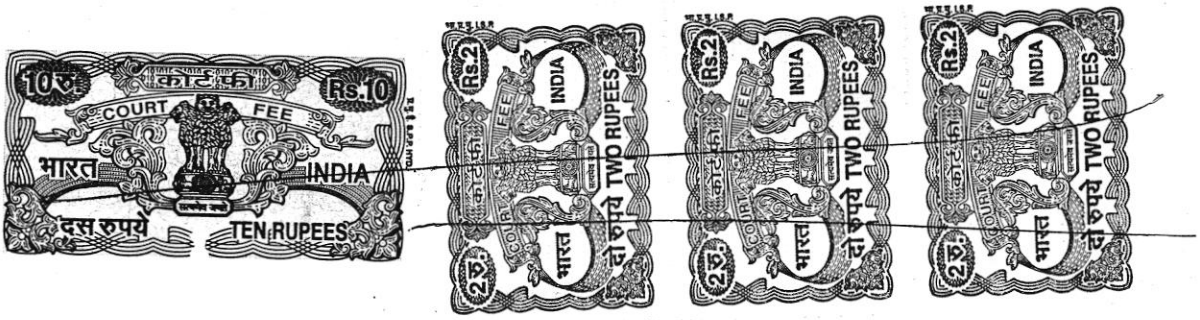

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 निगरानी R-527-III/14

परवेश पुत्र माहिया सेहार निवासी ग्राम कोटा, भगोरा तहसील व जिला शिवपुरी म.प्र.

.... आवेदिका

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

दिनांक 17-2-14 को श्री आर. एल. ... अभि. द्वारा प्रस्तुत।

17-2-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 07 / 2013–14 / अपील में पारित आदेश दिनांक 20.01.2014 के विरूद्व निगरानी ।

श्रीमानजी,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत है:–

1. यहकि, आवेदक के स्वतव स्वामितव एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम जाखनौद तहसील पोहरी जिला शिवपुरी में सर्वे क्रमांक 420 रकवा 3.13 हेक्टर भूमि को आवेदक द्वारा स्वंय के व्यय पर विक्रेतागण कृपासी पुत्री नत्थू पत्नी पूरन , लखन , पिंकी पुत्रगण ग्याजीत सहरिया निवासी नयागांव तहसील पोहरी जिला शिवपुरी से विक्रय विलेख क्रमांक 147 दिनांक 20.05.2013 को क्रय की थी। उक्त भूमि को विक्रय पश्चात आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नही आयेगा इसके अलावा आवेदक के पास ग्राम धुआनी एवं भगोरा में सर्वे क्रमांक 230, 16, एवं 17 कुल किता 3 तथा धुआनी में सर्वे क्रमांक 593 रकवा 5.04 हेक्टर भूमि शेष रहेगी।